प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5264/2006

याचिकाकर्ता - शेखू राम देवांगन, आयु लगभग 57 वर्ष, पिता—चोहराम देवांगन, निवासी—शारदा मंदिर के पास, वार्ड क्रमांक 38, बसंतपुर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।

2. कलेक्टर, राजनांदगांव (छ.ग.)

3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

उपस्थित:

श्री विनय पाण्डेय, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता — राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से।

.....

मौखिक आदेश

(दिनांक 02 अप्रैल, 2007 को पारित)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पटवारी के रूप में पटवारी हल्का क्रमांक 12, तहसील अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव में कार्यरत था, जहाँ से उसे आदेश दिनांक 14.09.2006 (अनुलग्नक पी.-3) द्वारा उसी तहसील एवं

जिले के पटवारी हल्का क्रमांक 7, दधुटोला में स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश को प्रशासनिक आवश्यकता में पारित नहीं कहा जा सकता। यह तर्क इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि निलंबन की समाप्ति दिनांक 18.02.2005 के आदेश द्वारा किए जाने के पश्चात मात्र तीन माह के भीतर ही यह स्थानांतरण आदेश पारित कर दिया गया। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत लंबित दांडिक प्रकरण के कारण निलंबित किया गया था, जिसका अंततः निर्णय दिनांक 24.05.2006 के निर्णय एवं आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के दोषमुक्त होने के रूप में हुआ।

फलस्वरूप, याचिकाकर्ता का निलंबन समाप्त कर दिया गया और उसे पुनः पटवारी हल्का क्रमांक 12 में पदस्थ किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) राज्य/उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि स्थानांतरण पूर्णतः प्रशासनिक कारणों एवं लोकहित में किया गया है। याचिकाकर्ता ने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, अतः इस याचिका में अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। साथ ही, याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि आक्षेपित आदेश दुर्भावना से प्रेरित है।

(3) यह तर्क कि आक्षेपित आदेश प्रशासनिक आवश्यकता में पारित नहीं किया गया, निराधार है और केवल अस्वीकृति योग्य है। निलंबन आदेश की समाप्ति के पश्चात किसी भी कर्मचारी का लोकहित में अन्य स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता को दिनांक 23.06.2006 को निलंबन समाप्ति के बाद पुनः पदस्थ किया गया तथा विवादित स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.09.2006 को पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय की अधिकारिता में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता।

(4) तदनुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur